न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील नामा0संख्या 18/16 **सन् 2016**

आरसीएमएस संख्या 2016/00326

बउनवानीः–

1. रामेश्वर पुत्र स्व0 श्री जगन्नाथ गुर्जर निवासी ग्राम ईसरदा तहसील चौथ का बरवाडा

बनाम

1. बदरी पुत्र जगन्नाथ गुर्जर निवासी ईसरदा तहसील चौथ का बरवाडा
2. रामचन्द्र पुत्र जगन्नाथ गुर्जर निवासी ईसरदा तहसील चौथ का बरवाडा
3. श्योजी पुत्र जगन्नाथ गुर्जर निवासी ईसरदा तहसील चौथ का बरवाडा
4. केदार पुत्र जगन्नाथ गुर्जर निवासी ईसरदा तहसील चौथ का बरवाडा
5. लक्ष्मीनारायण पुत्र जगन्नाथ गुर्जर निवासी ईसरदा तहसील चौथ का बरवाडा
6. सत्यनारायण पुत्र जगन्नाथ गुर्जर निवासी ईसरदा तहसील चौथ का बरवाडा
7. धापू बेवा जगन्नाथ गुर्जर निवासी ईसरदा तहसील चौथ का बरवाडा
8. नन्दू बेवा जगन्नाथ गुर्जर निवासी ईसरदा तहसील चौथ का बरवाडा
9. सरकार जरिये तहसीलदार चौथ का बरवाडा

(अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 04 निर्णय दिनांक 8.6.1992 वाके ग्राम ईसरदा तहसील चौथ का बरवाडा अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थितः– 1. श्री अब्दुल बहाव — वकील अपीलान्ट

2. श्री अब्दुल हासिब — वकील रेस्पो0

–ः निर्णय ः– **दिनांक 13.2.2019**

अपील अपीलान्ट ने तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा दर्ज फैसल,नामा0 संख्या 04 निर्णय दिनांक 8.6.1992 वाके ग्राम ईसरदा तहसील चौथ का बरवाडा के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध है जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया। तत्पश्चात बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील खिलाफ कानून एवं तथ्यों के विपरीत होने के कारण मन्सूख फरमाये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि अपीलान्ट के पिता स्वर्गीय श्री जगन्नाथ पुत्र श्री हरिराम गुर्जर की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात मुन्दर्जे नामा0 संख्या 4 वाके ग्राम ईसरदा तहसील चौथ का बरवाडा में स्थित है। अपीलान्ट के पिता फोत होने पर उक्त आराजीयात का फोती का नामा0 जगन्नाथ के वारिसान रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 8 व अपीलान्ट का नाम रामा पिता जगन्नाथ अंकित करते हुए नामा0 संख्या 4 पटवारी हल्का ईसरदा द्वारा भरा जाकर अदालत मातहत द्वारा तस्दीक करवा दिया है। जबकि अपीलान्ट का वास्तविक नाम रामेश्वर पुत्र जगन्नाथ है। अपने कथन के समर्थन में राशन कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, आधार कार्ड, इत्यादि की प्रति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त नामा0 आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई नोटिस नही दिया गया ओर ना ही सुनवायी का समुचित अवसर दिया गया है। इस

डॉ0 एस0पी0 सिंह
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

प्रकार उक्त नामा0 में गलत रूप से अपीलान्ट का नाम रामेश्वर के स्थान पर रामा अंकित कर दिया गया है जिसके कारण प्रार्थी को अपनी खातेदारी की भूमि पर किसी भी प्रकार की सरकारी योजनाओं का लाभ नही मिल रहा है। अतः आदेश जैर अपील निरस्त कर पुनः नये सिरे से नामा0 भरकर तस्दीक करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को आदेश जारी करे जिसमे प्रार्थी का नाम रामा के बजाय रामेश्वर अंकित किया जावे। यह कथन भी किया कि अपीलान्ट को उक्त नामा0 संख्या 04 दिनांक 8.6.1992 की पूर्व मे कोई जानकारी नही थी किन्तु दिनांक 18.5.2016 को अपीलान्ट हल्का पटवारी के पास अपने खाते की नकल लेने गया तो हल्का पटवारी के बताये जाने पर प्राप्त होने पर नामा0 की नकल हेतु दिनांक 19.5.2016 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नकल प्राप्त होने पर अन्दर मयाद मय प्रार्थना पत्र दफा 5 के पेश गयी है। अतः प्रस्तुत अपील को अन्दर मयाद मानते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार कर आदेश जैर अपील निरस्त करने बाबत निवेदन किया गया।

विद्वान वकील रेस्पो0 द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 04 दिनांक 8.6.1992 बाद जॉच तस्दीक किया जाना प्रतीत नही होता है क्योकि उक्त नामा0 में अपीलान्ट का नाम रामेश्वर के स्थान पर रामा अंकित किया गया है। जिसको न्यायहित में दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। अपीलान्ट का नाम रामा की बजाय रामेश्वर किये जाने बाबत वकील रेस्पो0 द्वारा अपनी सहमति प्रकट की गयी है।

वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात एवं सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहॅूचता हूॅ, कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन नामा0 संख्या 04 दिनांक 8.6.1992 दर्ज फैसल करते समय मृतक जगन्नाथ के विधिक वारिसान के सही नाम की पुष्टि नही की गयी है। क्योकि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज यथा निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलान्ट का सही नाम रामेश्वर पुत्र जगन्नाथ गुर्जर है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त नामा0 रामा पुत्र जगन्नाथ के नाम से दर्ज फैसल कर अहम भूल की है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि सम्मत होने की श्रेणी मे नही आता है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील अपास्त किया जाना न्यायोचित समझता हूॅ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 04 दिनांक 8.6.1992 वाके ग्राम ईसरदा को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार चौथ का बरवाडा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि मृतक जगन्नाथ पुत्र हरिराम गुर्जर निवासी ईसरदा के विधिक वारिसान के सही नाम की जानकारी कर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य/दस्तावेजात का अवलोकन कर पुनः नियमानुसार नामा0 भरकर दर्ज फैसल करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.2.2019 को लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ0एस0पी0सिंह)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Satya Pal Singh
Date: 2019.12.03 14:13:56 IST
Reason: SelfAttested
Location: